

डीबीटी का चयन नहीं करनेवाले ग्राहकों के लिए आधार/ई-केवाईसी का उपयोग करके खाता खोलने हेतु आवेदन

प्रती:

शाखा प्रबंधक, _____ शाखा.

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("बैंक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी और असाइन्स शामिल होंगे)

विषय: आधार- सूचित सहमति

1. मैं ओवीडी केवाईसी या ई-केवाईसी या ऑफलाइन सत्यापन के लिए स्वेच्छा से चयन करता/ करती हूँ और बैंक में अपना आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, ई-आधार, एक्सएमएल, मास्कड आधार, आधार विवरण, जनसांख्यिकीय जानकारी, पहचान संबंधी जानकारी, आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर, चेहरे के प्रमाणन के विवरण और/या बायोमेट्रिक जानकारी (कुल मिलाकर, "जानकारी") बैंक में जमा करता/करती हूँ.
2. मुझे बैंक द्वारा सूचित किया गया है, कि:
 - i. आधार जमा करना अनिवार्य नहीं है, और केवाईसी तथा पहचान स्थापित करने के लिए अन्य विकल्प हैं जिसमें आधार के अलावा आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज शामिल हैं. मुझे सभी विकल्प दिए गए थे.
 - ii. ई-केवाईसी/ प्रमाणन/ ऑफलाइन सत्यापन के लिए बैंक सीआईडीआर/ यूआईडीएआई के साथ आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक्स साझा करेगा, और सीआईडीआर/ यूआईडीएआई उसे बैंक के साथ प्रमाणन का डाटा, आधार डाटा, जनसांख्यिकीय विवरण, पंजीकृत मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी जानकारी साझा करेगा, जिसका उपयोग सूचित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिसका वर्णन नीचे ३ में किया गया है.
3. मैं निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बैंक (और उसके सेवा प्रदाताओं) को अधिकृत करता और अपनी सहमति देता हूँ:
 - i. पीएमएल कानून, २००२ और उसके अंतर्गत नियमों तथा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी और आवधिक केवाईसी प्रक्रिया, या मेरी पहचान स्थापित करने के लिए, मेरी पहचान करने के लिए, ऑफलाइन सत्यापन या ई-केवाईसी या यस/नो सत्यापन, जनसांख्यिकीय या अन्य प्रमाणन/ सत्यापन/ पहचान जैसा कि लागू कानूनों के अनुसार अनुमत हो सकता है, बैंक के/ के जरिए सभी खाते, सुविधाएँ, सेवाएँ और रिश्ते, मौजूदा और भावी.
 - ii. जानकारी का संग्रह, साझा करना, भंडारण, संरक्षण और जानकारी का उपयोग और प्रमाणन/ सत्यापन/ पहचान के रेकॉर्ड्स: (ए) ऊपर सूचित प्रयोजनों के लिए, (बी) साथ ही विनियामक और कानूनी रिपोर्टिंग और फाइलिंग्स के लिए तथा/या (सी) लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक हो.
 - iii. आधार द्वारा क्रियाशील भुगतान सेवाओं (एईपीएस) के लिए मेरे खातों को क्रियाशील करना;
 - iv. न्यायालय, किसी प्राधिकरण या आर्बिट्रेशन के समक्ष प्रस्तुत करने सहित साक्ष्य संबंधी प्रयोजनों के लिए सहमति, जानकारी या प्रमाणन, पहचान, सत्यापन इत्यादि के रेकॉर्ड्स और लॉग्स प्रस्तुत करना.
4. मैं समझता हूँ कि आधार नंबर और मुख्य बायोमेट्रिक्स को कानून के अनुसार आवश्यकता और सीआईडीआर सबमिशन को छोड़कर संग्रहित/ साझा नहीं किया जाएगा. मैंने अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके खुद ई-आधार डाउनलोड किया है. मैं इस दस्तावेज के

व्यवस्थित रूप से नहीं पाए जाने या मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी देने के मामले में बैंक को या उसके अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा.

5. उपरोक्त सहमति और जानकारी लेने का प्रयोजन मुझे अपनी स्थानीय भाषा में समझा दिया गया है.

ग्राहक का नाम: _____ हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____